



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: NCST/SER-1180/JH/77/2023-RO-RNC-RU-IV

दिनांक: 28.01.2026

सेवा में,

1 **सचिव,**
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
झारखंड शासन,
एमडीआई भवन,
राँची, झारखंड 834004
Email Id: hrdjharkhand@gmail.com

2 **निदेशक,**
माध्यमिक शिक्षा विभाग,
एमडीआई भवन, ग्राउंड फ्लोर,
धुर्वा, राँची,
राँची, झारखंड 834004
Email Id: planedujhar@gmail.com

विषय: अभ्यावेदिका श्रीमती प्रभा मिंज, (सहायक शिक्षिका), राजकीय मध्य विद्यालय, उमेडण्डा (बालक) बुड़मू, जिला - राँची, झारखण्ड से प्राप्त अभ्यावेदन "कार्यस्थल में प्रताड़ित किये जाने के संबंध में" ।


महोदय,

उपरोक्त विषय पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीया सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 24.12.2025 को आयोग में हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त में की गई अनुशंसाओं पर अनुपालन रिपोर्ट / की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 30 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

संलग्न: यथोपरि।

भवदीय


(यो. प्र. यादव / Y. P. Yadav)
उप सचिव / Deputy Secretary
E.mail ID: rahul.1424@ncst.nic.in

प्रतिलिपि:

श्रीमती प्रभा मिंज,
राजकीय मध्य विद्यालय,
उमेडण्डा (बालक) बुड़मू,
राँची, झारखण्ड - 835214
Mobile No: 9308022549

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)

✓ NHC for uploading



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं. NCST/SER-1180/JH/77/2023-RO-RNC

कार्यस्थल में प्रताड़ना किए जाने के संबंध में श्रीमती प्रभा मिंज (सहायक शिक्षिका) राजकीय मध्य विद्यालय, उमेडण्डा (बालक) बुड़मू, राँची, झारखण्ड के मामले में आयोग की माननीय सदस्य (डॉ. आशा लकड़ा) के समक्ष दिनांक 24.12.2025 को आयोग के मुख्यालय, नई दिल्ली में हुई सिटिंग का कार्यवृत।

सुनवाई की तिथि एवं समय : 24.12.2025 को 02:30 बजे अपराह्न
सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी : अनुलग्नक-1 के अनुसार

मामले में श्रीमती प्रभा मिंज (सहायक शिक्षिका) की शिकायत दिनांक 07.12.2023 आयोग में प्राप्त हुई, जिसमें उन्होंने आयोग को अवगत कराया कि दिनांक 31.10.2023 को विद्यालय प्रभारी श्री सुदीप कुमार ने शिकायतकर्ता को ऑफिस में बुलाकर छेड़छाड़ की और तरह-तरह के प्रलोभन दिए। इसका विरोध करने पर श्री सुदीप कुमार ने शिकायतकर्ता को गंदी-गंदी जाति सूचक गालियाँ दीं और उन पर थूक दिया। शिकायतकर्ता ने यह उल्लेख किया कि प्रभारी शिक्षक की इस हरकत से वह काफी डरी हुई हैं। अतः उन्होंने न्याय के लिए आयोग से अनुरोध किया है।

2. आयोग द्वारा इस संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, धुर्वा, राँची झारखण्ड एवं निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, धुर्वा, राँची झारखण्ड को नोटिस दिनांक 15.12.2023 भेजा गया।

3. आयोग के नोटिस के संदर्भ में कोई उत्तर/रिपोर्ट प्राप्त न होने पर आयोग की माननीया सदस्य (डॉ. आशा लकड़ा) द्वारा दिनांक 06.01.2025 को सिटिंग/सुनवाई निर्धारित की गई थी।

4. पिछली सुनवाई के दौरान संयुक्त सचिव एवं अवर सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड शासन आयोग के समक्ष उपस्थित हुए। जिला प्रशासन, राँची के संबंधित अधिकारी एवं शिकायतकर्ता सुनवाई में अनुपस्थित रहे।

5. मामले में सुनवाई के उपरांत आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुसंशाएँ की गईं :

- मामले में आरोपी का स्थानांतरण किया जाए और भविष्य में इस तरह की घटना किसी अन्य महिला के साथ न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
- मामले में 15 फरवरी 2025 तक की गई कार्रवाई की रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत की जाए।
- मामले में शिकायतकर्ता, संबंधित विभाग और आयोग की ओर से मामले में अपेक्षित कार्रवाई हेतु पुलिस अधीक्षक, राँची को विषय से अवगत कराया जाए।

(Handwritten signature)

Sitting to be held on 24.12.2025 at 02.30 P.M- अभ्यावेदिका श्रीमती प्रभा मिंज, राजकीय (सहायक शिक्षिका) मध्य विद्यालय, उमेडण्डा बुड़मू (बालक), जिला राँची - झारखण्ड से प्राप्त अभ्यावेदन "कार्यस्थल में प्रताड़ित किये जाने के संबंध में"

Sl. No.	Name and Designation	Address & Phone No.	Signature
I National Commission for Scheduled Tribes			
1.	Dr. Asha Lakra Hon'ble Member	In Chair	
2.	Shri Yogendra Prasad Yadav Deputy Secretary		
3.	Shri H.R. Meena Consultant		
4.	Shri Rahul Investigator		
5.	Ms. Riya Investigator		
6.	Shri Rahul Yadav Legal Consultant		
7.			
II Officers from O/o Secretary, Department of School Education and Literacy, Government of Jharkhand			
1.	Moinuddin Khan Joint Secretary		
2.			
3.			
III Officers from O/o Director, Department of Secondary Education, Government of Jharkhand			
1.			
2.			
3.			
IV Petitioners			